फा. सं.1/1/2016-ई-III(ए)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
26 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: भत्तों की दरों का पुनरीक्षण - केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित एवं वित्तपोषित/नियंत्रित अर्द्ध-सरकारी संगठनों, स्वायत्त संगठनों, सांविधिक निकायों के कर्मचारियों के संबंध में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के विनिश्चय लागू किए जाने के बारे में।

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित एवं वित्तपोषित/नियंत्रित अर्द्ध-सरकारी संगठनों, स्वायत्त संगठनों, सांविधिक निकायों के कर्मचारियों के संबंध में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान लागू किए जाने के बारे में इस विभाग के दिनांक 13.01.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन की ओर ध्यान आकृष्ट करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 6 के अनुसार यह उल्लेख किया गया था कि केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के संबंध में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विभिन्न भत्तों के बारे में कोई विनिश्चय नहीं किया है और इसलिए, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकार कर लिए गए हैं, स्वायत्त संगठनों में विद्यमान भत्ते, अगले आदेशों तक विद्यमान शर्तों के अनुसार स्वीकार्य बने रहेंगे।

2. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के भत्तों के संबंध में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार के विनिश्चय, इस विभाग के दिनांक 6.07.2017 के संकल्प सं. 11-1/2016-आईसी के तहत अब घोषित कर दिए गए हैं और मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, परिवहन भत्ता, परिवार नियोजन भत्ता आदि जैसे भत्तों के संबंध में संगत सरकारी आदेश भी इस विभाग द्वारा जारी कर दिए गए हैं। समाप्त किए गए भत्तों का भुगतान न किए जाने के संबंध में इस विभाग के 11 जुलाई, 2017 के का.ज्ञा. सं.29/1/2017-ई.II(बी) की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

3. तदनुसार, यह विनिश्चय किया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित एवं वित्तपोषित/नियंत्रित अर्द्ध-सरकारी संगठनों, स्वायत्त संगठनों, सांविधिक निकायों के कर्मचारियों के मामले में, इस समय स्वीकार्य ऐसे विद्यमान भत्ते जो वास्तव में केन्द्र सरकार की पद्धति के अनुसार हैं, इस मामले में जारी किए गए सरकारी आदेशों के साथ पठित दिनांक 06.07.2017 के उपर्युक्त संकल्प में निहित विनिश्चयों के अनुसार पुनरीक्षित किए जाएं। समाप्त किए गए भत्तों का भुगतान न किए जाने के संबंध में इस विभाग के 11 जुलाई, 2017 के का. ज्ञा. सं. 29/1/2017-ई.II(बी) में निहित प्रावधानों का भी सख्ती से पालन किया जाएगा।

अमरनाथ सिंह

3. उपर्युक्त पैरा-1 में उल्लिखित दिनांक 13.01.2017 के कार्यालय ज्ञापन में यथा निहित भत्तों पर अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव की निश्चयमात्रा सहित अन्य सभी शर्तें इन आदेशों के संबंध में लागू बनी रहेंगी।

अमरनाथ सिंह

(अमर नाथ सिंह)
निदेशक

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
भारत सरकार के सभी वित्त सलाहकार